

## संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0रानीखेत द्वारा प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में कोटिला ग्वाड मोटर मार्ग से सुरईखेत मिलान मोटर मार्ग का निर्माण के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य (गैर वानिकी कार्य) किये जाने हेतु वन भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1023/12-1 दिनांक 05-6-11 के क्रम में दिनांक 20.6.2011 को वन विभाग वन विभाग, राजस्व विभाग तथा प्रस्ताव विभाग के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया।

1. सन्तोष कुमार अपर सहायक अभियन्ता

2. सपना लोहनी पटवारी

3. जीवन चन्द्र जोशी पटवारी

4. ~~पुष्पकान्त शर्मा~~  
पुष्पकान्त शर्मा वन देगगा

(1). लो0नि0वि0 द्वारा जनपद अल्मोड़ा में कोटिला ग्वाड मोटर मार्ग से सुरईखेत मिलान मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 14.850 चौड़ाई 9मी. प्रस्तावित की गयी है। जोकि अल्मोड़ा वन प्रभाग की द्वाराहाट रेंज के अन्तर्गत निम्न आरक्षित/ सिविल/ वन पंचायत/ वन भूमि क्षेत्र एवं नाप भूमि में पड़ेगी। विवरण निम्न प्रकार है।

### 1. आरक्षित वन भूमि -

| क्र.सं. | वन ब्लॉक व कक्ष संख्या | प्रस्तावित कार्य | आपेक्षित वन भूमि की लम्बाई चौड़ाई (मी.में) |        |                |
|---------|------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------|----------------|
|         |                        |                  | लम्बाई                                     | चौड़ाई | क्षेत्रफल हे.  |
| 1       | चन्थरिया कक्ष 15       | मोटर मार्ग       | 400                                        | 3 मी.  | 0.360<br>0.280 |
|         |                        | योग :-           |                                            | 3 मी.  | 0.360<br>0.280 |

### 2. वन पंचायत भूमि -

|   |       |            |     |       |                |
|---|-------|------------|-----|-------|----------------|
| 1 | ग्वाड | मोटर मार्ग | 625 | 3 मी. | 0.562<br>0.437 |
|---|-------|------------|-----|-------|----------------|

### 3. सिविल भूमि -

|   |                                                  |            |      |       |                |
|---|--------------------------------------------------|------------|------|-------|----------------|
| 1 | कोटिला ग्वाड बयेला फल्दाडी नाड वलना तल्ली बिठोली | मोटर मार्ग | 4475 | 3 मी. | 4.028<br>3.132 |
|---|--------------------------------------------------|------------|------|-------|----------------|

### 4. नाप भूमि -

|   |                                                  |            |      |       |                  |
|---|--------------------------------------------------|------------|------|-------|------------------|
| 1 | कोटिला ग्वाड बयेला फल्दाडी नाड वलना तल्ली बिठोली | मोटर मार्ग | 9350 | 3 मी. | 8.415<br>6.545   |
|   |                                                  | कुल योग :- |      | 3 मी. | 13.365<br>10.394 |

अतएव हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित एवं सिविल भूमि का विवरण निम्न है :-

|   |                 |                |
|---|-----------------|----------------|
| 1 | आरक्षित वन भूमि | 0.360<br>0.280 |
| 2 | वन पंचायत भूमि  | 0.562<br>0.437 |
| 3 | सिविल भूमि      | 4.028<br>3.132 |
|   | योग :-          | 4.950<br>3.850 |

3. इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु कुल आपेक्षित 4.950 है0 वन भूमि तथा नाप भूमि का भी निरीक्षण किया गया एवं भूमि में स्थिति समस्त बाधक 486 वृक्षों की गणना कर वृक्षों पर पेन्ट से क्रमांक अंकित किये गये हैं जिनकी सूची तैयार कर पृथक से संलग्न की जा रही है तथा सारांश निम्न है :-

All cutting Attest

Assistant Engineer  
Const. Division P.W.D.  
Ranikhet

## सारांश

| क्र. सं. | वन भूमि का विवरण                               | प्रजाति | व्यास वर्ग |       |       |       |       |       |       | योग |
|----------|------------------------------------------------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|          |                                                |         | 10-20      | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 |     |
| 1        | आरक्षित कक्ष सं.                               | चीड़    | 5          | 10    | 5     | 50    | 5     |       |       |     |
| 2        | वन पंचायत जवाड़                                | चीड़    | -          | 12    | 15    | 15    |       |       |       |     |
| 3        | सिविल कोटिला जवाड़ फलदाडी वेथला वलना त. चिठोली |         |            |       |       |       |       |       |       |     |
| 4        | नाप कोटिला जवाड़ फलदाडी वेथला वलना त. चिठोली   |         |            |       |       |       |       |       |       |     |

समान सूची के अनुसार पृष्ठ 18 पर स्थान दे

All cutting Attested  
Assistant Engineer  
Const. Division P.W.D.  
Ranikhet

4. प्रस्तावित समरेखन में वृक्ष सघन रूप में विद्यमान है। स्थल का घनत्व से के बीच का है। प्रस्तावित स्थल की तथा जी.पी.एस. रीडिंग निम्न प्रकार है।

|                            |                 |              |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| Hight.....12.34.....Meters | N 29 46' 53.35" | E 79 24' 33" |
|----------------------------|-----------------|--------------|

5. आरक्षित वन भूमि 0.360 है। सिविल भूमि 4.028 पंचायत भूमि 0.562 कुल 4.950 है। दुगने क्षेत्रफल 9.900 है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सिविल क्षेत्र चयनित किया गया है जिसकी दूरी प्रस्तावित स्थल से लगभग 1.00 किमी. है तथा चयनित क्षेत्र का घनत्व..... से..... है।

6. क्षेत्र की ग्रामीणों को यातायात की सुविधा न होने के कारण उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। किन्तु इस सम्बन्ध में आम सभा का प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा सम्बन्धित से लिया जाना आवश्यक होगा। प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु उक्त अपेक्षित भूमि न्यूनतम है एवं प्रस्तावित सड़क निर्माण की समरेखन हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है।

7. चूंकि प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु वन भूमि की मांग की जा रही है फलस्वरूप इस भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होंगे तथा स्थल पर किसी भी गैर वानिकी कार्य (Non Forestry Activities) के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। अतः प्रस्तावक विभाग को निर्धारित फॉरमेट/प्रक्रिया के अनुरूप FCA 1980 के तहत प्रस्तावित निर्माण हेतु अपेक्षित 4.950 है। वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करना होगा।

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी

द्वाराहाट वन क्षेत्र,

प्रतिनिधि वन प्रभाग अल्मोड़ा

राजस्व विभाग

1- जवाड़ फलदाडी

उत्तरांचल

कनिष्ठ अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,  
रानीखेत

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

उप जिलाधिकारी  
अथवा जिलाधिकारी

तहसीलदार द्वाराहाट

द्वाराहाट

अभिियन्ता  
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०  
रानीखेत (अल्मोड़ा)

वन दरोगा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला अधिकारी  
अल्मोड़ा

जनपद अल्मोड़ा में कोटिला ग्वाड मोटर मार्ग से सुरईखेत मिलान मोटर मार्ग के प्रस्तावित निर्माण हेतु अपेक्षित आरक्षित वन भूमि का शेड्यूल

| जिला                    | प्रभाग   | रैंज      | बीट का नाम | कक्ष का नाम एवं सं. | कक्ष का कुल क्षेत्रफल | प्रस्तावित सड़क की लम्बाई चौड़ाई | वन भूमि की भांग हेतु आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल है० में | अभ्युक्ति |
|-------------------------|----------|-----------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| अल्मोड़ा                | अल्मोड़ा | द्वाराहाट | चन्थरिया   | 15                  |                       | 400/7                            | 0.360 0.280                                               |           |
| अपेक्षित भूमि का योग :- |          |           |            |                     |                       |                                  | 0.360 0.280                                               |           |

वन क्षेत्राधिकारी  
द्वाराहाट वन क्षेत्राधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

वन दरोगा

उप प्रभागीय वन अधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वन अधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

All cutting Attested

Assistant Engineer  
Const. Division P.W.D.  
Ranikhet